

संचय

SANCHAYA

रा ब सं

जनसेवा में 50 वर्षों से अधिक

NSI

Over 50 Years in Service of People

मासिक प्रकाशन

Monthly Publication

मई 2005 (अंक 146)

May 2005 (Issue 146)



विश्व बचत बैंक संस्थान बोर्ड प्रशासन के सदस्य कुआलालम्पुर, मलेशिया में बैठक के दरम्यान (बायें से दायें) मि. सर्गिओ पेरुसो, प्रेक्षक, इटली, मि. तुफगांग न्यूमन, प्रेक्षक, जर्मनी, मि. माइकेल, बिरेल, बोर्ड सदस्य, लग्जमर्ग, मि. क्रिस डी. नूज, चेयरमैन, विश्व बचत बैंक संस्थान, प्रबंधन समिति, डॉ. बर्नट, अध्यक्ष एवं व्यवस्थापन, विश्व बचत बैंक संस्थान, मि. नेगारा, उप राज्यपाल, मलेशिया, मि. डाटो अब्दुल, आजिम मुहम्मद जबीदी, चेयरमैन, बी.एस.एन., मि. ताजुद्दीन, सी.ई.ओ.बी.एस.एन. मिस आने फ्रांसिस लीफमरे, चेयरमैन के सलाहकार, विश्व बचत बैंक संस्थान, मि. मार्सिलिन जहुल, बोर्ड सदस्य, आइसी कोस्ट, मि. अलेकझेन्डर जखरोव, प्रेक्षक, रस एवं श्री अनिल भट्टाचार्या, संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष (बीच में खड़े)

विश्व बचत बैंक संस्थान की कुआलालम्पुर, मलेशिया में हुई बैठक में भारत ने भाग लिया।

विश्व बचत बैंक संस्थान एशिया प्रशासन क्षेत्रीय समूह का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। श्री अनिल भट्टाचार्या, संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय में विश्व बचत बैंक संस्थान की कुआलालम्पुर में बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए नामांकित किया। बोर्ड की बैठक में 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जैसे - फ्रांस, आइवरी कोष, इन्डोनेशिया, जर्मनी, नीदरलैंड, रस, जापान, संयुक्त राष्ट्र, इटली, थाईलैंड एवं बैंक सिम्पानन नेशनल, मलेशिया। बोर्ड की बैठक के दरम्यान मि. नेगारा, उप राज्यपाल, केन्द्रीय बैंक, मलेशिया ने "मलेशिया की वित्तीय नीति" विषय पर अपना पेपर प्रस्तुत किया। बोर्ड की बैठक के दौरान बहुत से विषयों पर चर्चा हुई जैसे राष्ट्रीय बचत संस्थान के बारे में, विश्व बचत बैंक संस्थान द्वारा 2007-08 में जनरल एसेम्ब्ली का आयोजन भारत में करने के बारे में। विश्व बचत बैंक संस्थान ने भारत से प्रार्थना की है कि वे बंगलादेश एवं मर्सिशस को भी विश्व बचत बैंक संस्थान की सदस्यता के लिए प्रेरित करें। बैठक में यह भी विचार किया गया कि भारतीय प्रतिनिधियों का 2005-06 के दौरान जर्मन बचत बैंक का अध्ययन यात्रा की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता डॉ. बर्नट, अध्यक्ष विश्व बचत बैंक संस्थान ने की एवं मि. क्रिस डी. नूज, चेयरमैन, प्रबंधन समिति, विश्व बचत बैंक संस्थान भी उपस्थित थे। मि. ताजुद्दीन सी.ई.ओ. बैंक सिम्पानन नेशनल ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।



राष्ट्रीय बचत संस्थान
NATIONAL SAVINGS INSTITUTE



श्री अनिल भट्टाचार्या, संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष 12 मई 2005 को राष्ट्रीय बचत संस्थान मुख्यालय में यहाँ के कर्मचारियों के लिए आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन परंपरागत दीप प्रज्वलित करते हुए। साथ में श्री एस.के. त्रिपाठी, उपायुक्त एवं प्रभारी, राजभाषा, अन्य अधिकारी एवं राष्ट्रीय बचत संस्थान के कर्मचारी गण।

राष्ट्रीय बचत संस्थान ने मुख्यालय कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया।

राष्ट्रीय बचत संस्थान ने 12-5-2005 को मुख्यालय कर्मचारियों के लिए नागपुर में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री अनिल भट्टाचार्या, संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष ने किया। अपने उद्घाटन सम्बोधन में उन्होंने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया क्योंकि हिन्दी में काम करना आसान है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला से लोगों को हिन्दी में काम करने की झिझक दूर होगी। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा के लक्ष्य को वे प्राप्त करें। श्री एस.के. त्रिपाठी, उपायुक्त एवं प्रभारी, राजभाषा ने अपने परिचय भाषण में कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य को बताया। श्री जे.पी. सिंह, हिन्दी अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

राष्ट्रीय बचत संस्थान बाजार अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी

वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बचत संस्थान को अन्य मुख्य कार्यों के साथ “बाजार अनुसंधान” का महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपा है। बाजार अनुसंधान से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा एवं बाजार अनुसंधान करने की कार्यनीति तैयार करने के लिए श्री अनिल भट्टाचार्या, संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है जिसके सदस्य उपायुक्त, क्षेत्रीय निदेशक एवं उप निदेशक हैं। कोर ग्रुप की बैठक 12-5-2005 को नागपुर में हुई जिसमें सदस्यों ने बाजार अनुसंधान से सम्बन्धित विषयों पर विस्तृत चर्चा की।



श्री एस.के. त्रिपाठी, उपायुक्त, राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर केन्द्र द्वारा नागपुर में आयोजित महिला बचत दिवस के अवसर पर सभा को सम्बोधित करते हुए। साथ में (बायें से दायें) श्री दीपक वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी), राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर केन्द्र, श्रीमती अल्का श्रीनिवास, प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, नागपुर एवं श्री आर.एन. धकाते, वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, नागपुर संभाग है।



डॉ. सरोजिनी वरदप्पन, अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, तमिलनाडु एवं प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय बचत संरथान, चेन्नई केन्द्र द्वारा चेन्नई में आयोजित महिला बचत दिवस के अवसर पर श्रीमती स्मिता एस. ठक्कर, महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना अभिकर्ता को पुरस्कार प्रदान करते हुए। साथ में (बायें से दायें) श्री पी. शनमुगम, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत संरथान, चेन्नई केन्द्र, श्री पी. मूर्ति, आई.पी.एस., आयुक्त, अल्प बचत, तमिलनाडु सरकार, श्रीमती वत्सला रघु, आई.पी.एस., मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, तमिलनाडु सर्किल एवं श्री बी. राजू वाबू, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संरथान, चेन्नई केन्द्र भी हैं।

भारत सरकार ने लोक भविष्य निधि योजना में संशोधन किया।

वित्त मंत्रालय (आ.का.वि.) भारत सरकार ने लोक भविष्य निधि अधिनियम 1968 (1968 का 23) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक भविष्य निधि योजना, 1968 का अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 291 (ई) दिनांक 13.5.2005 द्वारा संशोधन किया है। इस स्कीम का नाम लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2005 है और यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगी।

संशोधन के अन्तर्गत हिन्दू अविभक्त कुटुंब (एच.यू.एफ.) या व्यक्तियों का कोई संगम लोक भविष्य निधि खाता खोलने के हकदार नहीं होंगे। यहाँ यह बताना है कि हिन्दू अविभक्त कुटुंब में उपर से नीचे के क्रम में सभी लिनीयती डिसेन्डिंग लोग आते हैं (पल्नियों एवं अविवाहित बेटियों सहित)। असोशिएशन आफ परसन्स् जिसमें दो या उससे अधिक लोग किसी सामान्य उद्देश्य से कार्य करते हैं।

लोक भविष्य निधि खाता अब व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं/अवयरस्क (को) के नाम से खोला जायेगा। फिर भी वर्तमान लोक भविष्य निधि खाता जो हिन्दू अविभक्त कुटुंब या असोशिएशन आफ परसन्स् के नाम से है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह संशोधन 13-5-2005 से प्रभावी हो गया है।



श्रीमती किरण वालीया माननीय विधानसभा सदस्य दिल्ली एवं चेअरपरसन महिला आयोग दिल्ली, राष्ट्रीय बचत संरथान दिल्ली केन्द्र तथा अल्पबचत निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित 'महिला बचत दिवस' पर उपस्थित लोगों को सम्मोहित करते हुए। (बायें से दायें) श्री ए.के. चौहान क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय बचत संरथान दिल्ली केन्द्र व श्रीमती गीतिका शर्मा उपायुक्त (मुख्यालय) विक्रीकर, दिल्ली सरकार भी दिखाई दे रहे हैं।

अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक अल्प बचत संग्रहण (प्रारंभिक आकड़े)

(करोड रुपये)

अनु. क्र.	क्षेत्र / राज्य	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
		मार्च 2004 तक		मार्च 2005 तक	
1.	आंध्र प्रदेश	7319.99	3412.59	9273.18	4869.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.38	25.26	57.89	29.90
3.	অসম	2291.74	778.29	2358.26	826.09
4.	अंदमान निकोबार द्वीप	27.81	15.54	26.76	11.32
5.	आर्मी पोस्ट ऑफीसेस	1057.70	857.09	665.19	503.91
6.	बिहार	5022.34	1867.02	4573.36	1966.69
7.	झारखण्ड	2468.21	1307.32	2442.70	1475.22
8.	चंडीगढ़	283.12	35.47	396.04	133.06
9.	दमण एवं दीव	19.77	8.26	33.69	20.62
10.	दिल्ली	6343.95	3743.00	8835.35	5441.16
11.	गोवा	1.23	13.06	586.44	380.81
12.	गुजरात	13093.88	6191.61	14980.41	8040.01
13.	हरियाणा	4307.47	1665.80	4689.03	1976.98
14.	हिमाचल प्रदेश	1682.34	601.30	1894.73	760.15
15.	जम्मू व कश्मीर	1239.80	477.23	1145.98	486.08
16.	कर्नाटक	5633.44	2286.97	7673.78	3986.25
17.	केरल	4298.34	1963.88	5821.84	2882.38
18.	लक्ष्मीद्वीप	1.05	0.41	1.39	0.71
19.	मध्य प्रदेश	4143.73	1935.08	4858.67	2567.78
20.	छत्तीसगढ़	1339.54	630.98	1493.10	815.64
21.	महाराष्ट्र	15746.02	7725.61	20876.86	12382.08
22.	मणिपुर	66.39	21.38	66.23	23.95
23.	मेघालय	140.22	43.85	136.84	55.70
24.	मिज़ोरम	70.35	28.31	74.95	29.73
25.	नागालैंड	39.68	17.67	31.42	15.85
26.	उडीसा	2372.89	1033.03	2558.61	1263.13
27.	पांडीचेरी	227.58	172.34	227.28	157.47
28.	ਪंਜाब	7514.91	2895.09	8234.37	3124.30
29.	राजस्थान	7360.28	3554.83	9165.38	4783.72
30.	सिक्किम	70.01	35.95	52.31	17.94
31.	तमिलनाडू	7564.45	3664.17	10556.67	5702.66
32.	त्रिपुरा	385.50	166.85	365.82	167.51
33.	उत्तर प्रदेश	14328.45	5424.76	14428.90	6391.51
34.	उत्तरांचल	1816.70	808.73	1958.92	1009.71
35.	पश्चिम बंगाल	17629.64	8535.34	17975.23	9696.76
कुल		135965.91	61944.08	158517.58	81996.54

टिप्पणी : डाक विभाग नई दिल्ली से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक तथा सामन्जरय अधीन हैं। इन आंकड़ों में पी.पी.एफ. (बैंक) संग्रहण शामिल नहीं हैं।